

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती ज्ञानिदेवी बनाम कृष्णपाल सिंह

ग्राही अन्तर्गत 128 CR Act

मुकदमा नं. 259 सन् 2020
(2020/00498)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>09/2/2020 2020 00498</p>	<p>प्राथमिकी प्रशासन गण्डों के लगे इनिशियल्स के तहत शा.प. जलमपुरा पर आपोजित थिफ्ट के निवारण हेतु जारी हुई। हमारे प्राथमिकी का अन्वेषण किया कुछ ग्रामीण ग्राम शौर पण्डा जलमपुरा (नित आश्री सिंगल) 379, 383, 386, 387, 388 की ता 5 रकबा 19000 हे. मी की पत्ता गरी काना पाली ही प्राथमिकी में सलोक गण्ड जलमपुरा (नम्बर, 2073-2076) कलुआ उक्त आश्रीपण्डा ग्रामीण के नाम पर खोदवारी एक ले दर्ज रेकार्ड ही। उक्त प्राथमिकी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 CR Act लीका किया जाकर ग्राम शौर पण्डा जलमपुरा (नित आश्री सिंगल) 379, 383, 386, 387, 388 की ता 5 कुल रकबा 19000 हे. मी की बिना किसी के कहने में दरवालाजी किए सेटलमेंट गण्डा कलुआ पत्थरगरी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। (आश्री गण्ड शुल्क 1000=1000 रुपये एक हजार रुपए प्राथमिकी पदन करेगी। पालमाली लक्ष्मीलाल चित्तौड़गढ़ के लिखा जाते कि पक्षभारत के लिखित पुचका ही जाकर निम्नानुसार पत्थरगरी की जाते एवं पालमाली गण्डो नोमालम में प्रस्तुत करें। प्राथमिकी के लिये शुभारंभ होकर ले काम ही।</p>	

(श्याम सुन्दर विश्वासे)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)